

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल दिनांक 04/11/2025

कमांक: 1540 / 5 / 0001/2025: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के छात्रावास एवं अन्य शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	विवरण	शुल्क	रिमार्क
1	यू.जी. तथा इंटरन छात्रावास शुल्क	12,000 (वार्षिक)	वैकल्पिक
2	पी.जी. छात्रावास शुल्क	24,000 (वार्षिक)	वैकल्पिक
3	सीनियर रेसीडेंट छात्रावास शुल्क	2,000 (प्रति माह)	वैकल्पिक
4	जूनियर रेसीडेंट छात्रावास शुल्क	2,000 (प्रति माह)	वैकल्पिक
5	पुस्तकालय शुल्क	1,000 (वार्षिक)	अनिवार्य
6	परिचय पत्र शुल्क	50 (वार्षिक)	अनिवार्य
7	क्रीडा शुल्क	1,000 (वार्षिक)	अनिवार्य
8	छात्र कल्याण निधि	500 (वार्षिक)	अनिवार्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक 04/11/2025

पृ कमांक 1541 / 5 / 0001/2025/17(2)

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. निज सचिव माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
5. समस्त अधिष्ठाता, नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना, मंदसौर, नीमच, सिवनी, श्योपुर एवं सिंगरौली।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

Digitally signed by
Babita Vasuniya
Date: 04-11-2025
16:39:56